।। ओ३म् ।।

गुरूकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार -249404

GURUKUL KANGRI VISHWAVIDYALAYA, HARIDWAR - 249404

दिनांक 01.03.08

अधि-सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के पत्रांक उ0वि0शि0प0/मान्यता-20/9/1216-17/2007-08 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याविनोद परीक्षा को परिषद के विनयमों के भागे दो (ख) अध्याय 12 के विनियम पैरा 17 (7)(च) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भारत में विधिवत स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर परीक्षा के समकक्ष होने की मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा, रामनगर, नैनीताल
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून
5. सचिव, समस्त प्रदेश, विद्यालयी शिक्षा परिषद
6. सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली
7. सचिव, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली
8. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय
9. आचार्य एवं उपकुलपति, गु0कां0वि0, हरिद्वार
10. आचार्या, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून
11. सहा0 मुख्याधिष्ठाता, विद्यालय विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार
12. प्रधानाचार्य, विद्यालय विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार
13. शिक्षा/परीक्षा अनुभाग, गु0कां0वि0, हरिद्वार
14. सहा0 कुलसचिव, कुलपति कार्यालय

कुलसचिव

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

रजिस्ट्रार
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

पत्रांकः– उ0वि0शि0प0/मान्यता–20/9/ 1216-17 /2007–08 दिनांक 18/02/2008

विषय– गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याविनोद परीक्षा की समकक्षता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 15–02–2008 के द्वारा गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याविनोद परीक्षा की समकक्षता के सन्दर्भ में पृच्छा की गई है ।

उपरोक्त सन्दर्भ में आपके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट 1956 की धारा–3 के द्वारा नोटिफिकेशन न0 एफ 10–17/62 यू 2, दिनांक 19–6–1962 के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित है। उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्याविनोद की परीक्षाऐं सार्वजनिक परीक्षा हैं। तथा यह परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक परीक्षा है ।

विनियमों के भागे दो (ख) अध्याय 12 के विनियम पैरा 17 (7) (च) में दी गई द्वारा व्यवस्था के अनुसार भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर परीक्षा की समकक्षता प्राप्त है।

आपको सन्दर्भित विनियम की छाया प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीय,
18.2.08
अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृष्ठांकन संख्या/उ0वि0शि0प/मान्यता–20/9/ /2007–08 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक/पाठ्य पुस्तक/60236–37/बोर्ड परीक्षा/2007–08 दिनांक 15–2–2008 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

GAZETTE OF INDIA

NOTIFICATION

No. F. 10-17/62 U2, Dated 19-06-62

In exercise of powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act 1956 the Central Government on the advice of the Commission hereby declares that, the Gurukula Kangri Vishwavidyalaya Haridwar, which is an institution for higher education, shall be deemed to be a University for the purpose of the said act.

विद्याधिकारी एवं विद्याविनोद परीक्षाओं की मान्यता

उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनिताल द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा को परिषद् के विनियम 2009, अध्याय 14 विनियम 2/43-4 के अन्तर्गत विद्याधिकारी परीक्षा को (हाईस्कूल) के समकक्ष एवं परिषद् के विनियम 2009, अध्याय 12 विनियम 13/43-4 के अन्तर्गत विद्याविनोद परीक्षा को (इण्टरमीडिएट) के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।